उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा

की

वर्ष 1986-87

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

प्रकाशक :
निदेशक, उच्चत्तर शिक्षा विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

विषय-सूचि

क्रम नं0	अध्याय–शीर्षक	पृष्ठ–संख्या
	समीक्षा	
1.	प्रशासन एवं संगठन	1—3
2.	साकान्य शिक्षा (महाविद्यालय)	4—8
3.	छात्रवृत्तियां तथा अन्य वित्तीय सहायता	9—12
4.	विविध	13—22
5.	हरियाणा साहित्य अकादमी	23—26
	रेखाचित्र	

NIEPA DC

D04828

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Education
Planning and Aministration
17-B,Sri Aurbindo Marg,New Delhi-110016
DOC. No....4828........
Date....14/8/89.......

Review of the Annual Administrative Report For the Year 1986-87 of Higher Education

Two Universities and 128 Affiliating Colleges, which includes 98 non-Govt. Colleges, are providing Higher Education in the State. In these colleges 18 colleges belong to teacher's Trainig. 111450 students received education in these colleges in 1986-87. Out of these the number of girl students remained 34649. Colleges of Education trained 3501 students out of which 1956 were girls. During the period under report, sanction for opening a Govt. College at Loharu (Bhiwani) and non-objection certificate for opening Geeta Vidya Mandir (Non-Govt.) College at Sonepat were issued. For encouraging women education separate wings were created for girls in Govt. Colleges, Narnaul and Faridabad. Rs. 2708.33 lacs were spent on Higher Education in the year 1986-87.

The expenditure in non-Govt. Colleges to the tune of 95% of the deficit is met by the Govt. in form of maintenance grant. An amount of Rs. 3.78 crores to Rohtak University, Rs. 4.16 crores to Kurukshetra University and Rs. 8.91 crores to Non-Govt. Colleges was given as grant in the year 1986-87.

It was decided by Govt. during the period under report that the annual confidential report of the lecturers of Non-Govt. Colleges will be written regularly in future.

Government sanctioned rural allowance to Non-Govt. Colleges staff from 1-4-86. Under the various schemes of scholarships and financial aids of Govt. of India and State Govt. an amount of Rs. 81.60 lacs and Rs. 32.71 lacs was spent respectively and respectively 7962 & 5918 students were benefited. Out of these Rs. 94.46 lacs were spent on scheduled castes and backward class students and 11490 students were benefited. N.S.S. programme is running in the State for the development of personality and mind of the students. The number of volunteers in the universities and colleges is 21000. Rs. 32.55 lacs were provided for N.S.S. programme in 1986-87.

Students are imparted training in three Navy, Military and Air Services of Armed Forces under N.C.C. scheme. The number of cadets in the Junior division of school students is 16550 and the number of cadets in senior division of college students is 11780.

During the year 1986-87, 12 District Libraries and 5 Sub-Divisional Libraries were functioning in the State.

State Govt. has set up Sahitya Academy named as 'Haryana Sahitya Academy'. This institution encourages the literacy activities of all languages in the State and raises research in literary and cultural tradition of Haryana. It sets guide lines and policy for the preparation of books in Hindi for university level. During the reporting period, collection of stories, poems, plays and essays were published. Writer's semainers/Poet conferences and literary festivals of Hindi, Haryanvi, Sanskrit and Panjabi were organised. During the reporting period, 13 books were published and Rs. 23402 was given as monetory help to the writer of these books. Book competitions were organised for encouraging the writers of Hindi, Haryanvi, Panjabi and Sanskrit and Rs. 10500 were given as award to the writers of 7 books, Publication of a literary magazine 'Harigandha' was started by the Academy from November, 1985. Poems, stories, one-act-plays and essays are published in it.

During the year 1986-87, Garanth Academy Division published 13 new books and second and third edition of 6 books on various subjects of Hummanities and Science.

During this year books worth Rs. 593246 were sold

उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा की वर्ष 1986-87 की प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

राज्य में उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए दो विश्वविद्यालय और इनसे सम्बन्धित 128 महाविद्यालय हैं, जिनमें 94 महाविद्यालय गैर सरकारी हैं। इन महाविद्यालयों में 18 महाविद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण के हैं। वर्ष 1986–87 में सामान्य शिक्षा महाविद्यालयों में 111450 विद्यार्थियों ने शिक्षा ग्रहण की जिनमें छात्राओं की संख्या 34649 रही। शिक्षा महाविद्यलयों में शिक्षक प्रशिक्षण छात्र संख्या 3501 थी, जिनमें छात्राओं की संख्या 1956 थी। रिपोर्टाधीन अवधि में लोहारू (भिवानी) में राजकीय महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति तथा सोनीपत में गीता विद्या मन्दिर (अराजकीब) महाविद्यालय खोलने का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये। महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए राजकीय महाविद्यालय नारनौल तथा फरीदाबाद में लड़कियों के लिए अलग विंगज स्थापित किए गए।

वर्ष 1986–87 में उच्चतर शिक्षा पर 2708.33 लाख रुपये व्यय किये गये।

राज्य सरकार अराजकीय महाविद्यालयों के घाटे की 95 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति अनुरक्षण अनुदान के रूप में करती है। वर्ष 1986–87 में 3.78 करोड़ रुपये रोहतक विश्वविद्यालय को, 4.16 करोड़ रुपये कुरूक्षेत्र विश्व-विद्यालय को तथा 8.91 करोड़ रुपये अराजकीय महाविद्यालयों को अनुदान दिया गया।

रिपोर्टाधीन अवधि में सरकार द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि भविष्य में अराजकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट नियमित रूप से लिखी जाया करेगी।

सरकार ने 1–4–86 से गैर सरकारी महाविद्यालयों के अमले के लिए ग्रामीण भत्ते की स्वीकृति दी।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्तियों एवं वित्तीय

सहायता के अन्तर्गत क्रमशः 81.60 लाख रुपये तथा 32.71 लाख रुपए खर्च हुये और क्रमशः 7962 तथा 5918 छात्र लाभान्वित हुए। इनमें से अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों पर 94.46 लाख रुपये व्यय किये गये तथा 11490 छात्रों को लाभ पहुंचा।

छात्रों के व्यक्तित्व एवं बौद्धिक विकास के लिए राज्य में एन0एस0एस0 कार्यक्रम चालू है। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में एन0 एस0 एस0 सदस्यों की संख्या 21000 है। वर्ष 1986–87 में एन0एस0 एस0 कार्यक्रम के लिए 32.55 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

एन0 सी0 सी0 योजना के अन्तर्गत छात्रों की सेना की तीनों जल, थल तथा वायु सेवाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। विद्यालयों के छात्रों के जूनियर डिविजनों की कैडट्स की संख्या 16550 है तथा महाविद्यालयों के छात्रों के सीनियर डिविजनों के कैडटस की संख्या 11780 है। वर्ष 1986–87 में एन0 सी0 सी0 परियोजना के लिए 1.04 करोड़ रुपये बजट में निर्धारित किये गये।

भाषा अनुभाग द्वारा वर्ष 1986–87 में लगभग 2965 पृष्ठों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद किया गया।

राज्य में वर्ष 1986–87 के दौरान 12 जिला पुस्तकालय तथा 5 उप मण्डल पुस्तकालय कार्य करते रहे।

राज्य सरकार द्वारा "हरियाणा साहित्य अकादमी "के नाम से एक साहित्य अकादमी का गठन किया हुआ है। यह संस्था राज्य में सभी भाषाओं की साहित्यक गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है तथा हरियाणा की साहित्यक और सांस्कृतिक परम्पराओं के अनुसंधान को बढ़ावा देती है। हिन्दी भाषा में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करने के लिए मार्ग दर्शन तथा नीति निर्धारित करती है। रिपोर्टाधीन अवधि में हिन्दी तथा पंजाबी कहानियों, कविताओं, एंकाकियों और निबन्धों के संकलन प्रकाशित किये गये। हिन्दी, हरियाणवी, संस्कृत तथा पंजाबी लेखक गोष्ठियों/कवि सम्मेलनों तथा साहित्यक उत्सवों का आयोजन किया गया। रिपोर्टाधीन अवधि में 13 पुस्तकें प्रकाशित की गई तथा उनके लेखकों की 23402 रुपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी गई। ले खको की प्रोत्सा-

हन देने के लिए हिन्दी, हरियाणवी, पंजाबी तथा संस्कृत में पुस्तक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा 7 पुस्तकों के लेखकों को 10500 रुपये पुरस्कार स्वरूप दिये गये । नवम्बर, 1985 से अकादमी द्वारा एक साहित्यक पत्रिका "हरिगन्धा" का प्रकाशन आरम्भ किया गया। इसमें कविता, कहानी, एकांकी तथा निबन्ध आदि प्रकाशित किये जाते हैं।

वर्ष 1986–87 में ग्रंथ अकादमी प्रभाग द्वारा मानविकी तथा विज्ञान के विभिन्न विषयों पर 13 नई पुस्तकें तथा 6 पुस्तकों के द्वितीय व तृतीय संस्करण प्रकाशित किये गये ।

इस वर्ष के दौरान 593246 रुपये के कुल मूल्य की पुस्तकों की बिक्री की गई

प्रशासन एवं संगठन

1.1 वर्ष 1986–87 में श्रीमति शारदारानी ने शिक्षा विभाग का राज्य शिक्षा मन्त्री के रूप में कार्यभार सम्भाला ।

(क) सचिवालय स्तर पर

रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षायुक्त एवं सचिव के पद पर श्री एल0एम0जैन आई0 ए0 एस0 रहे तथा संयुक्त सचिव के पद पर श्री वी0 एस0 चौधरी आई0 ए0 एस0 ने कार्य किया ।

(ख) निदेशालय स्तर पर

निदेशक, उच्चतर शिक्षा के पद पर श्रीमती आशा शर्मा आई0 ए0 एस0 ने कार्य किया था तथा निम्नलिखित पदों पर अन्य अधिकारियों ने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए निदेशक उच्चतर शिक्षा को सहयोग दिया :–

पद	पदों की संख्या
1. संयुक्त निदेशक महाविद्यालय	1
2. संयुक्त निदेशक प्रसासन	1
3. उप निदेशक, महाविद्यालय	2
4. सहायक, निदेशक महाविद्यालय	4
5. लेखा अधिकारी महाविद्यालय	1
6. रजिस्ट्रार शिक्षा	1
7. सहायक रजिस्ट्रार शिक्षा	1

1.2 महाविद्यालय

राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य प्रत्यक्ष रूप से सुचारू प्रशासन तथा उच्च शिक्षा के विकास के लिए निदेशक, उच्चतर शिक्षा के प्रति उत्तरदायी हैं। परन्तु गैर-सरकारी महाविद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्ध समितियां ही चलाती हैं। राज्य में स्थित सभी महाविद्यालय सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की शिक्षा नीती को अपनाते हैं।

1.3 शिक्षा पर व्यय

वर्ष 1986–87 में महाविद्यालय शिक्षा पर 2708.33 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। इसमें से योजनोतर पक्ष पर 2434.22 लाख रुपये तथा योजना पक्ष पर 274.11 लाख रुपये व्यय हुये। वर्ष 1985–86 में यह व्यय 2081.03 लाख रुपये था, जिसमें से योजनोंतर व्यय 1886.33 लाख रुपये तथा योजना पक्ष पर 194.70 लाख रुपये था।

1.4 विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को अनुदान

अराजकीय महाविद्यालयों में शिक्षा कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार उदारतापूर्वक अनुदान देती है। अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत राज्य सरकार अराजकीय महाविद्यालयों को उनके घाटे का 95 प्रतिशत तक अनुदान देती है। केवल यही नहीं अराजकीय महाविद्यालयों को उनके विकास के लिए भी वित्तीय सहायता समय-समय पर दी जाती रही है। रिपोर्टाधीन वर्ष में विश्व-विद्यालयों/महाविद्यालयों को शिक्षा एवं शिक्षा विकास कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित अनुदान दिये गये :–

	1985–86	1986-87
	(रुपयों करोड़ों में)	
1. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	3.50	3.78
2. कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	4.04	4.16
3. अराजकीय महाविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान	6.04	8.91

1.5. अराजकीय महाविद्यालयों में प्रशासकों की नियुक्ति

यदि किसी अराजकीय महाविद्यालय की प्रबन्धक समिति उचित तौर पर कार्य नहीं करती है तो सरकार उस महाविद्यालय का प्रबन्ध अधिग्रहण करके उसमें प्रशासक नियुक्त कर देती है। वर्ष 1986–87 में गोस्वामी गणेश दत्त सनातम धर्म महाविद्यालय पलवल (फरीदाबाद) में प्रशासक की नियुक्ति की गई।

1.6 रिपोर्टाधीन अवधि में सरकार द्वारा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण नीति निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार भविष्य में राजकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की भांति ही अराजकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की भी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट नियमित रूप से लिखी जाया करेगी। इस कार्यवाही के परिणाम स्वरूप इन महाविद्यालयों के प्राध्यापकों में शिक्षण कार्य के प्रति रूचि लेने तथा उसके प्रति अपना उत्तरदायित्व समझने की भावना का विकास होगा तथा इन संस्थाओं में प्रशासनिक व्यवस्था को भी बल मिलेगा।

सामान्य शिक्षा (महाविद्यालय)

2.1. महाविद्यालयों की संख्या

हरियाणा राज्य में दो विश्वविद्यालय हैं। एक महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक तथा दूसरा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र। इसके अतिरिक्त वर्ष 1986–87 में राज्य में महाविद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार थी :–

	1985–86		1986–87	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
राजकीय महाविद्यालय	32	1	32	1
अराजकीय महाविद्यालय	51	26	51	26
	83	27	83	27

रिपोर्टाधीन अवधि में लोहारू (भिवानी) में राजकीय महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति जारी की गई तथा अगले सत्र से 3.00 लाख रुपये के सरकारी खर्च से सोनीपत में गीता विद्या मन्दिर महाविद्यालय (अराजकीय) नया महाविद्यालय खोलने के लिए सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया।

2.2 छात्र संख्या

(क) इन महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या निम्न प्रकार रही :–

	1985–86		1986–87	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
जमा दो पद्धति	28678	9798	46087	17205
तीन वर्षीय डिग्रीकोर्स	42945	22134	26645	14713
एम॰ ए॰ एम॰ काम॰/एम॰ एस॰ सी॰	2350	2241	2520	2045
पी॰एच॰ डी॰/एम॰ फिल॰	273	210	326	329
अन्य	1255	333	1223	357
योग	75501	34716	76801	34649

संस्थाओं अनुसार छात्रसंख्या

	1985–86		1986–87	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
राजकीय महाविद्यालय	25094	7720	25138	7574
अराजकीय महाविद्यालय	47675	25476	48920	25444
विश्वविद्यालय	2732	1520	2743	1631
योग	75501	34716	76801	34649

(ख) महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों के छात्रों की संख्या निम्न प्रकार रही :–

शिक्षा स्तर

दस जमा दो पद्धति	2925	212	4890	320
तीन वर्षीय डिग्रीकोर्स	3500	292	2071	198
एम॰ ए॰ एम॰ एस॰ सी॰/एम॰ काम॰	183	22	210	32
पी॰एच॰डी॰/एम॰ फिल	14	2	8	4
अन्य	79	4	75	22
योग	6701	532	7254	576

संस्थाओं के अनुसार छात्र संख्या

	1985–86		1986–87	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
राजकीय महाविद्यालय	2467	126	2596	120
अराजकीय महाविद्यालय	4060	392	4502	413
विश्वविद्यालय	174	14	156	43
योग	6701	532	7254	576

2.3 प्राध्यापक

रिर्पोटाधीन अवधि में महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले प्राध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार थी :–

	1985-86		1986-87	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
राजकीय महाविद्यालय	1087	483	1119	543
अराजकीय महाविद्यालय	1669	861	1648	853
विश्वविद्यालय	477	97	396	87
योग	3233	1441	3163	1483

2.4 सह शिक्षा

हरियाणा राज्य में लड़कों के सभी महाविद्यालयों में लड़कियों को भी पढ़ने की अनुमति है।

2.5. दस जमा दो शिक्षा पद्धति

इस राज्य में 10 जमा 2 शिक्षा पद्धति वर्ष 1985–86 से चल रही है। यह पद्धति रिर्पोटाधीन अवधि में 107 महाविद्यालयों में चल रही थी।

2.6. महाविद्यालयों में विज्ञान शिक्षा

वर्ष 1986–87 में 5 महाविद्यालयों में विज्ञान के विषय आरम्भ किये गये। राजकीय महाविद्यालय कालका तथा गुड़गांव में विज्ञान शिक्षा को और सुदृढ़ किया गया। 6 महाविद्यालयों में परिशोधित Electronics कोर्स आरम्भ किया गया। इसी तरह कम्पयूटर विज्ञान में भी 3 महाविद्यालयों में परिशोधित कोर्स आरम्भ किया गया।

राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान विभागों को सुदृढ़ करने के लिए तीन

राजकीय महाविद्यालयों को विज्ञान उपकरण खरीदने के लिए 309550 रुपयों की स्वीकृति जारी की गई।

राजकीय महाविद्यालयों में, जहां विज्ञान का विषय पढ़ाया जाता है, विज्ञान प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। राज्य स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन राजकीय महाविद्यालय, फरीदाबाद में किया गया। वर्ष 86–87 में राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान प्रदर्शनी तथा उत्सवों के आयोजन के लिए सरकार द्वारा एक लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

2.7. ग्रामीण भत्ता

राज्य सरकार ने 1–4–86 से गैर सरकारी महाविद्यालयों के अमले के लिए ग्रामीण भत्ते की स्वीकृति दी। यह भत्ता उसी दर से दिया जायेगा जिस दर से सरकारी अमले को मिलता है। इससे सरकार पर प्रति वर्ष तीन लाख रुपये की राशि का भार पड़ेगा।

2.8 अन्तरिम सहायता

राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों तथा सरकारी और गैर सरकारी महाविद्यालयों के अध्यापक अमले को 1–12–85 से अन्तरिम सहायता की दो किस्तें स्वीकृति की। इससे अध्यापक अमले को 150/– रुपये से 300/– रुपये तक मासिक लाभ होगा तथा सरकार पर चालू वर्ष में 150.00 लाख रुपये का भार पड़ेगा।

2.9 नये विषय आरम्भ करना

रिपोर्टाधीन अवधि में महाविद्यालयों में निम्न अनुसार नये विषय आरम्भ किये गये :–

1.	राजकीय महाविद्यालय,	बहादुरगढ़	विज्ञान
2.	सम.	घरोंडा	भूगोल
3.	सम.	नारायणगढ	भूगोल
4.	सम.	महेन्द्रगढ़	भूगोल
5.	सम.	हिसार	गृह विज्ञान
6.	सम.	कालका	बी0एस0सी0 II (मैडिकल)
7.	द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय	गुड़गांव	बी.एस.सी.–II (मैडिकल)

2.10 राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान द्वारा द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय गुड़गांव को स्वायतशासी महाविद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए एक आदर्श महाविद्यालय के रूप में अपनाया गया है।

2.11 महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए राजकीय महाविद्यालय नारनौल तथा फरीदाबाद में लड़कियों के लिए अलग शाखायें स्थापित की गई।

अध्याय तीसरा

छात्रवृतियां तथा अन्य वित्तीय साहयता

3.1 योग्य विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तरों पर शिक्षा प्राप्ति के लिये राज्य तथा भारत सरकार की भिन्न-भिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनेक प्रकार की छात्रवृतियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा पिछडी जाति के छात्रों को भी शिक्षा प्राप्ति के लिये प्रोत्साहित करने के उदेश्य से अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है।

3.2 भारत सरकार की राष्ट्रीय छात्रवृति योजना

महाविद्यालयों में पढ़ने वाले योग्य छात्रों को उत्साहित करने के लिये भारत सरकार की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986–87 में 1523 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत छात्रवृति पर वर्ष 1986–87 में 10.79 लाख रुपये खर्च हुए। वर्ष 1985–86 में राष्ट्रीय छात्रवृति योजना अधीन 1411 छात्रवृतियों पर 12.75 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। वर्ष 1986–87 में इस छात्रवृति पर राशि कम खर्च होने का कारण यह है कि जिन छात्रों के माता-पिता की वार्षिक आय 6000/– रुपये से अधिक है उन्हें केवल 100/– रुपये का Notional Prize दिया जाता है। वर्ष 1986–87 में 301 छात्रों को Notional Prize दिया गया। अतः छात्रवृत्ति पर राशि कम खर्च हुई।

3.3 राज्य योग्यता छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986–87 में 647 हरियाणवीं योग्य छात्रों को मैट्रिक उपरान्त उच्च शिक्षा को संस्थाओं में पढ़ने के लिये योग्यता छात्रवृति दी गई तथा छात्रवृति के रूप में 7.19 लाख रुपये की राशि छात्रों में वितरित

की गई । वर्ष 1985–86 में इस योजना के अन्तर्गत 956 छात्रवृत्तियों पर 8.73 लाख रु0 की राशि व्यय की गई । इस राज्य में 1985–86 से 10+2 शिक्षा प्रणाली आरम्भ होने के कारण ग्यारहवीं की परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया जिस के कारण विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियों के लिये योग्यता सूची नहीं बनी। इस लिये वर्ष 1986–87 में उच्च शिक्षा संस्थाओं में दी जाने वाली योग्यता छात्रवृत्तियों में कमी आई है।

3.4 राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा गरीब माता-पिता के योग्य छात्रों को, जो कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये छात्रवृत्ति ऋण के रूप में दी जाती है । वर्ष 1986–87 में 25 छात्रों की छात्रवृत्तियां स्वीकृत/नवीकरण की गई जिस के लिये 17460 रु0 स्वीकृत किये गये । वर्ष 1985–86 में 49 छात्रों को 55500 रु0 की राशि ऋण के रूप में वितरित की गई।

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 1,30,132 रुपये के लगभग ऋण की वसूली की गई।

3.5. राज्य हरिजन कल्याण योजना अधीन अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों छात्रों को सुविधाएं

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं की शैक्षिक, व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिये विशेष सुविधायें तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है ।

पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं की विभिन्न कक्षाओं और कोर्सों में पढ़ने हेतु 30 रुपये मासिक दर से लेकर 70 रुपये मासिक दर तक वजीफे/छात्रवृतियां दी जाती हैं । वर्ष 1986–87 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले हरिजन तथा पिछड़े वर्ष के 5093 छात्र/छात्राओं को 24.00 लाख रुपये की छात्रवृत्तियां वजीफे दिये गये। इस राशि में से हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों की

परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की गई। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985–86 में 4657 छात्र/छात्राओं को 21.75 लाख रुपय की छात्रवृतियां/वजीफे दिये गये ।

3.6. भारत सरकार की मैट्रिक उपरान्त अनुसूचित जाति के छात्रों/छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के अन्तर्गत मैट्रिक उपरान्त शिक्षा संस्थाओं में भिन्न-भिन्न कक्षाओं/कोर्सों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों के छात्र/छात्राओं को 50 रुपये से लेकर 200 रुपये मासिक दर तक छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। जिन छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय 9000 रुपये तक हैं उन्हें पूरी दर से छात्रवृतियां दी जाती हैं और जिन छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आये 9000 रुपये से 12000 रुपये है, उन्हें आधी दर से छात्रवृति दी जाती है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986–87 में 6397 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुये तथा 70.46 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। वर्ष 1985–86 में इस योजना के अन्तर्गत 6335 छात्र/छात्रायें लाभान्वित हुए तथा 63.89 लाख रुपये की राशि खर्च की गई । अनिवार्य रूप से दी जाने वाली निःशुल्क शिक्षा के अन्तर्गत छात्राओं के कक्षा शुल्क तथा परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की गई।

3.7 अध्यापकों के बच्चों को छात्रवृत्ति

हरियाणा में विद्यालयों के अध्यापकों के बच्चों को मैट्रिक उपरान्त छात्रवृति देने की व्यवस्था है। वर्ष 1986–87 में 17 छात्रों की छात्रवृत्तियां दी गई । इन छात्रवृत्तियों पर 7960 रुपये खर्च किये गये । वर्ष 1985–86 में इस छात्रवृत्ति योजना पर 17900 रुपये खर्च हुए तथा 27 छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई ।

3.8 निम्न आय वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां

इस स्कीम के अन्तर्गत मैट्रिक उपरान्त शिक्षा के लिये 2000 रुपये या इससे कम वार्षिक आय वाले वर्ग के अभिभावकों के बच्चों को (2400 रुपये की आय सीमा इंजीनियरिंग/मैडिकल/कृषि/पशुपालन के कोर्सों में पढ़ने वाले

छात्रों के अभिभावकों के लिये) 27 रुपये से लेकर 70 रुपये मासिक दर से छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । इसके अतिरिक्त शिक्षा शुल्क, अन्य अनिवार्य फण्ड तथा परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। वर्ष 1986–87 में इस स्कीम के अन्तर्गत 1.50 लाख रुपये की राशि खर्च की गई तथा 174 छात्रों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 1985–86 में इस योजना के अतर्गत 1.21 लाख रुपये की राशि खर्च की गई तथा 143 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

3.9. विमुक्त जातियों के बच्चों को छात्रवृति

विमुक्त जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिये अलग से विमुक्त जाति कल्याण योजना चल रही है। वर्ष 1986–87 में इस योजना पर 2260 रुपये की राशि खर्च की गई तथा 4 छात्रों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 1985–86 में इस योजना के लिये 11700 रुपये की व्यवस्था की गई थी तथा 18 छात्रों को लाभान्वित किया गया था ।

अध्याय—चौथा

विविध

4.1 अध्यापक प्रशिक्षण

रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

	1985–86		1986–87	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
राजकीय महाविद्यालय	1	—	1	—
अराजकीय महाविद्यालय	14	3	14	3

उपरोक्त के अतिरिक्त एक शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय है जो हिसार में स्थित है।

इन महाविद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

	1985–86		1986–87	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
एम0 एड	6	13	5	19
बी0 एड	1574	1645	1519	1929
शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण				
स्नातकोतर	8	3	10	1
—सम— स्नातक	106	8	11	7

4.2 एन0 एस0 एस0

विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर पर छात्रों के व्यक्तित्व और बौद्धिक विकास के लिये भारत सरकार की सहायता से हरियाणा राज्य में एन0 एस0 एस0 कार्यक्रम चालू है। वर्ष 1986–87 में एन0 एस0 एस0 योजना के अन्तर्गत स्वयं सेवकों की संख्या 21,000 हो गई है जबकि वर्ष 1985–86 में इनकी संख्या 19,000 थी। इस समय यह कार्यक्रम हरियाणा में स्थित तीनों विश्वविद्यालयों तथा इनसे सम्बन्धित 149 महाविद्यालयों में सफलतापूर्वक चल रहा है। इस कार्यक्रम पर खर्चा 7:5 अनुपात में भारत सरकार तथा राज्य सरकार दोनों मिल कर करती हैं। वर्ष 1986–87 में इस कार्यक्रम के लिए विभाग के बजट में 32.55 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

एन0 एस0 एस0 कार्यक्रम को मुख्यतया दो शीर्षकों में बांटा जा सकता है :—

1. दैनिक गतिविधियां

इसके अन्तर्गत स्वयंसेवक अपनाये गये गांवों में सप्ताह के अन्त में या किसी उचित समय में, जो ग्रामीणों तथा स्वयंसेवकों के लिये उचित हो, विभिन्न योजनाओं पर कार्य करते हैं।

2. विशेष शिविर कार्यक्रम

स्वयंसेवक अपनाये गये गांवों में अधिकतर 30 दिन तक ठहरते हैं तथा ग्रामीणों के सहयोग से बनाई गई परियोजनाओं पर कार्य करते हैं। वर्ष 1986–87 के दौरान तीनों विश्वविद्यालयों ने विशेष शिविर लगाये तथा 8055 छात्रों ने इनमें भाग लिया।

4.3 एन0 सी0 सी0

भारत सरकार के रक्षा मन्त्रालय द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार एन0 सी0 सी0 परियोजना के अन्तर्गत सेना की तीनों शाखाओं जल/स्थल तथा वायु

सेवाओं का प्रशिक्षण राज्य में एन0 सी0 सी0 कैडेट्स को दिया जाता है। विद्यालयों के छात्रों के लिए जूनियर डिविजन तथा महाविद्यालयों के छात्रों के लिए सीनियर डिविजन स्थापित किये हुए हैं। छात्र अपनी स्वेच्छा से एन0 सी0 सी0 प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, अनिवार्य रूप से नहीं। इस प्रशिक्षण को चलाने का खर्च भारत सरकार तथा राज्य सरकार मिल कर करती हैं। वर्ष 1986–87 में एन0 सी0 सी0 परियोजना के लिए 1.04 करोड़ रुपये बजट में निर्धारित किये गये। हरियाणा में एन0 सी0 सी0 कार्यक्रम की स्थिति निम्न प्रकार हैं :—

(क) सिनीयर डिविजन

	बटालियनों की संख्या	प्राधिकृत कैडिट्स की संख्या
1. इन्फैन्टरी बटालियन (लड़कों के लिये)	12	10080
2. इन्फैन्टरी बटालियन (लड़कियों के लिये)	2	1100
3. वायु स्कावाड्रन	2	400
4. जल विंग यूनिट	1	200
5. ग्रुप हैडक्वर्टर्स	2	—
(ख) जूनियर डिविजन		
आर्मीविंग (लड़कों के लिये)	138	13650
आर्मीविंग (लड़कियों के लिये)	10	1100
जल विंग	5	1350
वायुविंग	14	450

पार्ट टाईम एन0 सी 0सी0 अधिकारियों का मानदेय जनवरी, 1985 से

बढ़ाया गया है । मानदेय बढ़ाने का पैदवार विवरण निम्न प्रकार है :—

(क) सीनियर डिविजन	जनवरी, 1985 से पहले की दर	वर्तमान दर
1. मेजर	100 रुपये मासिक	200 रुपये मासिक
2. कप्तान	90 रुपये मासिक	200 रुपये मासिक
3. लैफटीनैन्ट	80 रुपये मासिक	150 रुपये मासिक
4. 2nd लैफ टीनैन्ट	75 रुपये मासिक	150 रुपये मासिक
(ख) जुनियर डिविजन		
5. चीफ आफिसर	75 रुपये मासिक	150 रुपये मासिक
6. प्रथम अधिकारी	75 रुपये मासिक	125 रुपये मासिक
7. द्वितीय अधिकारी	55 रुपये मासिक	125 रुपये मासिक
8. तृतीय अधिकारी	50 रुपये मासिक	100 रुपये मासिक

रिपोर्टाधीन अवधि में 8 शिवर लगाये गये जिनमे 160 अधिकारियों तथा 5120 कैडिटों ने भाग लिया । एक कैम्प रोहतक में राष्ट्रीय एकता पर लगाया गया जिसमें 250 कैडिटों तथा 3 अधिकारियों ने भाग लिया । इस राज्य के 70 कैडिटों ने दूसरे राज्यों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एकता शिवरों में भाग लिया । 5 ट्रेनिंग अभियानों का आयोजन किया गया जिनमें 222 कैडिटों ने भाग लिया । 35 पार्ट टाइम एन0सी0सी0 अधिकारियों ने आफिसरज ट्रेनिंग स्कूल में विभिन्न प्रकार के कोर्सों में भाग लिया । 17 लड़कों तथा 4 लड़कियों ने गणतन्त्र दिवस परेड में तथा प्रधान मन्त्री की जनवरी, 1987 की रैली में भाग लिया और उनका योगदान सराहनीय रहा । सीनीयर अन्डर आफिसर संदीप अहलावत ने गणतन्त्र दिवस परेड, उपराष्ट्रपति गार्ड आफ आनर परेड तथा चीफ आफ आर्मी स्टाफ परेड का नेतृत्व किया, उसे श्रेष्ठ टरन आऊट, श्रेष्ठ परेड कमान्डर तथा चेरी

बलोजम, राईज एवं साईन टरोफी जीती। हरियाणा वायु स्क्वडन एन0सी0सी0 हिसार के कैडिटों ने 2 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक तथा 5 कांस्य पदक राज्य राईफल प्रतियोगिता में प्राप्त किये। राष्ट्रीय एकता सप्ताह मनाने के लिये जिन स्थानों पर एन0सी0 सी युनिटें कार्य कर रही थी वहां शान्ति यात्रा तथा साईकल अभियानों का आयोजन किया गया। इस वर्ष एन0सी0सी0 दिवस समाज सेवा दिवस के रूप में मनाया गया जिसमें 274 कैडिटों ने रक्तदान किया तथा 400 कैडिटों ने दहेज विरोधी शपथ ग्रहण की। राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम के अन्तर्गत अगस्त, 1986 में रन फार फन दौड़ का आयोजन किया गया जिसमें 1936 कैडिटों तथा 15 अधिकारियों ने भाग लिया। जूनियर डिविजन के 6280 कैडिटों की "ए" सार्टिफिकेट के लिये, सीनीयर डिविजन के 998 कैडिट 'बी" सार्टिफिकेट के लिये तथा 536 कैडिट "सी" सार्टिफिकेट के लिए परीक्षा में बैठे। 2 कैडिट आई0एम0ए0/एन0डी0ए0 तथा एक कैडिट एयरफोर्स के लिये चुना गया। एन0सी0सी0 अधिकारियों ने कार्यात्मक साक्षरता में भाग लिया तथा दोनों ग्रुपों के अधिकारियों का पुनः अभ्यास प्रशिक्षण दिया गया।

हरियाणा की दोनों एन0सी0सी0 वायु स्कवाड्रनों को 600 घन्टे उड़ान के दिये गये थे। जिसमें से एन0सी0सी0 स्क्वाड्रन करनाल ने 144.30 घन्टे पूरे किये तथा एन0सी0सी0 स्कवाड्रन हिसार ने 300 घन्टे उड़ान के पूरे किये। रिपोर्टाधीन अवधि में वार्षिक प्रशिक्षण शिवरों में भाग लेने वाले कैडिटों तथा अधिकारियों के भोजन भत्ते में वृद्धि की गई। कैडिट्स का भत्ता 7 रुपये से बढ़ा कर 10 रुपये किया गया तथा अधिकारियों का भत्ता 7.50 रुपये से बढ़ा कर 12 रुपये किया गया। सरकार ने कैडिटों के लिये जलपान भत्ते को 1/– रुपये से बढ़ाकर 1.50 रुपये कर दिया है। उड़ान में भाग लेने वाले कैडिटों के जलपान भत्ते को 1.20 रुपये से बढ़ा कर 1.50 रुपये कर दिया है। वायु स्कवैडन एन0सी0सी0 हिसार को 1500 लांच दिये गये जिसमें से उन्होंने 513 लाच पूरे किये। करनाल में कोई यान सुविधा उपलब्ध नहीं है और इसके लिये सिविल विमानन विभाग हरियाणा के साथ बातचीत चल रही है। सरकार ने इन्सीडैन्टल अनुदान प्रति कैडिट प्रति दिन एक रुपये से बढ़ा कर 2/– रुपये कर दिया है। सरकार ने वार्षिक प्रशिक्षण सुविधा अनुदान

सीनीयर डिवीजन का 200/– रुपये से लेकर 400/– रुपये तथा जूनियर डिवीजन का 100/– रुपये से 200/– रुपये बढ़ा दिया हैं।

हरियाणा सरकार ने जल तथा वायु यूनिटों की सीनीयर डिवीजन की महिला कैडिटों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिये पृथक से दो अखिल भारतीय शिवरों के आयोजन के लिये स्वीकृति प्रदान की।

रिपोर्टाधीन अवधि में सरकार ने 160 कैडिटों की एक सीनीयर डिवीजन कम्पनी खड़ी करने की स्वीकृति प्रदान की। हरियाणा सरकार ने हिसार में एक Remount Veternary Sqdn. खड़ी करने की भी अनुमति प्रदान की। पांच जूनियर डिवीजन आर्मी टरुप खड़े करने के लिये सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया।

4.4 भाषा अनुभाग

शिक्षा विभाग में एक भाषा अनुभाग स्थापित है। यह अनुभाग हरियाणा राज्य के विभिन्न विभागों / बोर्डों / निगमों आदि से प्राप्त प्रशासनिक सामग्री का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का कार्य करता है, जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण, वित्त मन्त्री का भाषण, बजट, विभिन्न विभागों से प्राप्त मैनुअल, संहितायें व ज्ञापन, प्रशासनिक रिपोर्ट तथा प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त, होने वाले विभिन्न प्रपत्रों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य सम्मिलित है। वर्ष 1986-1987 में लगभग 2965 मानक पृष्ठों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद किया गया।

4.5 जिला/उपमण्ड पुस्तकालय

इस राज्य के सभी 12 जिलों में जिला पुस्तकालय कार्य कर रहे हैं। विभाग ने उपमण्डल स्तर पर भी पुस्तकालय खोलने आरम्भ कर दिये हैं। राज्य में उपमण्डल पुस्तकालयों की संख्या 5 हो गई है। वर्ष 1986-87 में 4 उपमण्डल पुस्तकालय स्थापित किये जाने थे परन्तु केवल पंचकूला में ही एक पुस्तकालय आरम्भ किया जा सका। शेष पुस्तकालय आगामी वित्त वर्ष में स्थापित किये जायेंगे।

4.6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन

भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में, राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति के तेजी से कार्यान्वयन के लिये निम्नलिखित उप-समितियां स्थापित की है :—

(1) शिक्षा मन्त्री की अध्यक्षता में एक मन्त्रिमण्डलीय उप समिति गठित की गई है। वित्त मन्त्री और उद्योग मन्त्री इसके सदस्य हैं । यह समिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन का पर्यावेक्षण करेगी ।

(2) नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के कार्य की परिवीक्षा हेतु हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकारी प्राप्त कर्णधार समिति भी गठित की गई हैं। जहां तक नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन का सम्बन्ध है यह समिति विभिन्न विभागों में तालमेल का कार्य भी करेगी।

(3) आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एक अन्य समिति का गठन किया गया है जिसे विभागीय समिति के नाम से जाना जाता है । यह समिति उच्च अधिकार प्राप्त समिति के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिये विस्तृत प्रस्ताव आरम्भ करेगी और तैयार करेगी ।

उच्चतर शिक्षा निदेशालय में नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के कार्य को निपटाने के लिये एक विशेष कक्ष बनाये जाने का प्रस्ताव है।

नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के अनुपालनार्थ निम्नलिखित उपाये किये गये हैं :—

1. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और विश्वविद्यालयों से विशेषज्ञों के सक्रिय सहयोग से राजकीय महाविद्यालय के लैक्चरारों के लिये पुनरभिविन्यास पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान (नीपा) द्वारा आयोजित आयोजना और प्रबन्ध सम्बन्धी पाठ्यक्रम प्राप्त करने के लिए प्रिंसिपलों को प्रतिनियुक्ति भी किया गया था। राजकीय महाविद्यालयों के वरिष्ठ लैक्चरारों और प्रिंसिपलों के अभिविन्यास के

लिये हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग भी किया गया था।

2. राज्य में 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली के सामान्य कार्यक्रम को लागू कर दिया गया है। इस प्रणाली के अन्तर्गत इसके व्यावसायिक कार्यक्रम को भी लागू कर दिया गया है।

3. सामाजिक रूप से लाभप्रद उत्पादी कार्य एस0 यू0 पी0 डब्ल्यू के अन्तर्गत शिक्षा के मूल्यों को अंतः निविष्ट करने के लिए महाविद्यालयों में विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है ।

4. राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान द्वारा एक स्वायत-शासी महाविद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए एक उपाय के तौर पर द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय गुड़गांव को एक आदर्श महाविद्यालय के रूप में मान लिया गया है ।

5. विद्यार्थियों को अपने सांस्कृति दाय से अवगत करवाने के लिए अग्रोहा तथा भीमादेवी मन्दिर, पिन्जौर में पुरातत्व विभाग हरियाणा के सहयोग से राष्ट्रीय सेवा स्कीम कैम्प आयोजित किये गये ।

6. स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये राजकीय महाविद्यालयों नारनौल तथा फरीदाबाद में अलग से महिला विंग स्थापित किए गए हैं ।

7. विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ कर दिया गया है और वर्ष 1986–87 में इसे एक और महाविद्यालय में शुरु कर दिया गया है। गुड़गांव तथा कालका राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान शिक्षा को और सुदृढ़ कर दिया गया है । छः महाविद्यालयों में इलैक्ट्रानिकी में पुर्नविन्यास पाठ्यक्रम आरम्भ कर दिए गए हैं। इसी प्रकार तीन महाविद्यालयों में कम्पयूटर विज्ञान में पुर्नविन्यास पाठ्यक्रम आरम्भ कर दिए गए हैं ।

8. चालू शैक्षणिक सत्र में निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों में नये विषय आरम्भ किए गए हैं :–

1. राजकीय महाविद्यालय, बहादुरगढ़-विज्ञान

2. –सम– धरौंडा, नारायणगढ़ और महेन्द्रगढ़–भूगोल

3. राजकीय महाविद्यालय, हिसार–गृहविज्ञान

4. राजकीय महाविद्यालय कालका बी0 एस0 सी0-II (नान मैडिकल)

5. द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय गुड़गांव–बी0 एस0 सी0-II (मैडिकल)

9. राजकीय महाविद्यालयों में लैक्चरारों के लिये 1200–2040 रुपये वेतनमान में योग्यता पदोन्नति स्कीम लागू कर दी गई है ।

10. राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था के लिये लोहारू (भिवानी) में एक राजकीय महाविद्यालय की संस्वीकृति दिनांक 14–1–1987 को दे दी गई है ।

11. विद्यमान राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय को सुदृढ़ करने के लिए तीन राजकीय महाविद्यालयों में वैज्ञानिक उपकरण खरीदने हेतु 3,09,550 रुपये की राशि संस्वीकृत की गई है ।

12. विज्ञान प्रदर्शनी

सरकार ने राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान प्रदर्शनी एवं विज्ञान मेला के आयोजन के लिए एक लाख रुपये की राशि संस्वीकृत की है। नवम्बर, 1986 से जनवरी 1987 तक के मासों के दौरान विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों (जिनमें विज्ञान विषय पढ़ाया जाता है) में विज्ञान प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है ताकि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक रूचि विकसित हो सके। फरीदाबाद में राज्य स्तर की विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है ।

13 सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

राजकीय महाविद्यालयों के लैक्चरारों के लिए 10 दिनों का सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिये सरकार ने एक लाख रुपये की राशि संस्वीकृत की है । सर्दियों की छुट्टियों के दौरान भिवानी और नारनौल में इतिहास तथा भुगोल विषयों में इन पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया । राजकीय महाविद्यालयों में काम करने वाले इन विषयों के लगभग 30 लैक्चरारों को इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया ।

14. 10 जमा 2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा वर्ष 1986–87 के शैक्षिक सत्र से राज्य के सभी महाविद्यालयों में जोड़ दी गई है । 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली राज्य में पिछले वर्ष आरम्भ की गई थी ।

अध्याय पांचवा

हरियाणा साहित्य अकादमी

5.1 राज्य सरकार द्वारा "हरियाणा साहित्य अकादमी" के नाम से एक साहित्य अकादमी का गठन किया हुआ है । यह एक स्वायतशासी संस्था है । यह संस्था (1) राज्य में साहित्यक स्तर को उन्नत करती है, सभी भाषाओं की साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है तथा हरियाणा की साहित्यिक गतिविधियों को प्रत्साहित करती है तथा हरियाणा को साहित्यिक और सांस्कृतिर्क परम्पराओं के अनुसंधान को बढ़ावा देती है (2) हिन्दी भाषा में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करने के लिए मार्ग दर्शन तथा नीतिनिर्धारित करती है । विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए अकादमी को दो प्रभागों में बांटा गया हैं। (एक) साहित्य विकास प्रभाग (दूसरा) ग्रंथ अकादमी प्रभाग ।

5.2 साहित्य विकास प्रभाग

1 पुस्तकों का प्रकाशन

अकादमी द्वारा हरियाणा की कला, संस्कृति, इतिहास, साहित्य और लोक साहित्य सम्बन्धी पुस्तकें तैयार करवाई जाती हैं तथा उनका प्रकाशन किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत डा0 राम कुमार भारद्वाज तथा डा0 अनिता भारद्वाज द्वारा लिखित पुस्तक "हरियाणा का सत कवि नितानन्द", जीवन और दर्शन प्रकाशन के लिए प्रैस भेजी गई तथा हरियाणा का इतिहास पुस्तक का लेखन कार्य जारी रहा। इसके अतिरिक्त अकादमी द्वारा शोध प्रबन्ध प्रकाशित किये जाते हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित 3 शोध प्रबन्ध प्रकाशित किये गये :–

1. महाकवि शम्भु और उनका काव्य	डा0 इन्द्रा रानी राव
2. हरियाणा का संत साहित्य	डा0 सूरज भान
3. हिन्दी पत्रकारिता को हरियाणा की देन	डा0 केशवानन्द ममगाई

अकादमी द्वारा लेखकों के हिन्दी तथा पंजाबी कहानियों, कविताओं, एकांकियों और निबन्धों के संकलन प्रकाशित किये जाते हैं । रिपोर्टाधीन अवधि में (1) अनुभव का आकाश (दूसरा हिन्दी निबन्ध संकलन) (2) एक कदम और (उर्दू अफसानों का तीसरा संकलन) (3) रोही दें रूप (पंजाबी कविता का तीसरा संकलन) (4) कहानी यात्रा पांच (हिन्दी कहानी का तीसरा संकलन) तथा चौथा हिन्दी कविता संकलन प्रैस भेजा गया। स्वामी सनातन देव द्वारा कृष्ण भक्ति काव्य पर लिखित "पीयूष पयास्विनी" पुस्तक प्रकाशित की गयी ।

2. लेखक गोष्ठियों/साहित्यक उत्सवों का आयोजन

राज्य में साहित्यिक वातावरण पैदा करने के लिए तथा लेखकों एवं आलोचकों को एक मंच पर एकत्रित करने के लिए हिन्दी, हरियाणवी, संस्कृत तथा पंजाबी लेखक गोष्ठियों/कवि सम्मेलनों तथा अन्य साहित्यक उत्सवों का आयोजन किया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान अकादमी द्वारा ऐसे 11 साहित्यक उत्सवों का आयोजन किया गया। राज्य में साहित्यक वातावरण पैदा करने के लिए स्वयंसेवी साहित्यिक संस्थाओं को साहित्यिक आयोजनों के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। रिपोर्टाधीन अवधि में स्वयंसेवी साहित्यिक संस्थाओं को 7 साहित्यिक उत्सवों के आयोजन के लिए 9433 रुपये की राशि की सहायता दी गयी ।

3. पुस्तक प्रकाशनार्थ सहायता

हरियाणा के लेखकों को उनकी अप्रकाशित पुस्तकों के प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्रत्येक पुस्तक के लिए प्रकाशन के अनन्तर 2000 रुपये या प्रकाशन व्यय का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, के बराबर राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 13 पुस्तकें प्रकाशित हुई तथा इनके लेखकों को 23402 रुपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी गयी। वर्ष 1986–87 में इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त पांडुलिपियों का मूल्यांकन करवाया गया।

4 पुस्तक प्रतियोगिता

राज्य के लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए हिन्दी, हरियाणवी, पंजाबी तथा संस्कृत

में पुस्तक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है तथा विभिन्न विधाओं के अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ पायी जाने वाली पुस्तकों के लेखकों को 1500 रुपये की राशि का पुरस्कार दिया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 7 पुस्तकों के लेखकों को 10500 रुपये के पुरस्कार दिये गये ।

वर्ष 1986–87 में इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त पुस्तकों का मूल्यांकन करवाया गया ।

5. हिन्दी कहानी प्रतियोगिता

अकादमी द्वारा हिन्दी कहानी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान इस प्रतियोगिता के 3 विजेताओं को 1200 रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी गयी। वर्ष 1986–87 के अन्तर्गत प्राप्त प्रविष्टयों का मूल्यांकन करवाया गया ।

6. हिन्दी नाटक मंचन प्रतियोगिता

रंगमंच की बढ़ावा देने के लिए हिन्दी नाटक मंचन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान मण्डल स्तरीय हिन्दी नाटक मंचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 5 पुरस्कार विजेताओं की 900 रुपये के पुरस्कार दिये गये तथा विजेता टीम को ट्राफी दी गई ।

7. साहित्य सम्मेलनों में शिष्ट मण्डल भेजना

राज्य के लेखकों का अन्य राज्यों के लेखकों के साथ सम्पर्क बढ़ाने के लिए यह योजना आरम्भ की गई है । जिसके अन्तर्गत अकादमी द्वारा भारत के विभिन्न प्रदेशों में आयोजित साहित्यिक सम्मेलनों में राज्य के लेखकों के शिष्ट मण्डल भेजे जाते हैं ।

8. शोध पत्रिका का प्रकाशन

अकादमी द्वारा (Haryana Sahitya Akademi journel of Indological Studies) के नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया गया है । इसमें भारत के प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति से सम्बन्धित सामग्री प्रकाशित की जाती है । हरियाणा एवं इसके निकटवर्ती क्षेत्रों के सम्बन्ध में विशेष रूप से रिपोर्टाधीन अवधि

के दौरान इस पत्रिका का प्रवेशांक प्रकाशित किया गया। इसमें देश-विदेश के ख्याति प्राप्त विद्वानों के लेख सम्मिलित हैं। द्वितीय अंक के सम्पादन का कार्य डा0 ओ0 पी0 भारद्वाज को सौंपा गया है ।

9. साहित्यिक पत्रिका हरिगन्धा का प्रकाशन

नवम्बर, 1985 में अकादमी द्वारा एक साहित्यिक पत्रिका "हरिगन्धा" का प्रकाशन आरम्भ किया गया है। अभी इसे द्विमासिक रखा गया है। इसमें कविता, कहानी, एंकाकी, निबन्ध इत्यादि रचनात्मक साहित्य के अतिरिक्त समीक्षात्मक लेखों को भी सम्मिलित किया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान हरिगन्धा के 8 अंक प्रकाशित किये गये जिसमें मैथिलीशरण गुप्त विशांक विशेष महत्व का है। अखिल भारतीय ख्याति के लेखकों की रचनाओं के अतिरिक्त हरियाणा राज्य के स्थापित एवं नवोदित लेखकों की रचनाओं को भी पत्रिका में स्थान दिया जा रहा है।

10. अभावग्रस्त लेखकों को सहायतानुदान

अकादमी द्वारा अभावग्रस्त लेखकों को आर्थिक सहायता दी जाती है। रिपोर्टाधीन अवधि में इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की गई ।

11. साहित्यकारों का अभिनन्दन

अकादमी द्वारा हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी तथा हरियाणा साहित्य के साहित्यकारों को सम्मानित करने की योजना भी कार्यान्वित की जा रही है। प्रत्येक सम्मानित साहित्यकार को 1500 रुपये की राशि, उत्तरीय तथा सरस्वती की प्रतिमा भेंट की जाती हैं ।

5.3 ग्रंथ अकादमी प्रभाग

वर्ष 1986–87 में ग्रंथ अकादमी प्रभाग द्वारा मानविकी तथा विज्ञान के विभिन्न विषयों पर 13 नई पुस्तकें तथा 6 पुस्तकों के द्वितीय व तृतीय संस्करण प्रकाशित किये गये ।

इस वर्ष के दौरान कुल 593246 रुपये के ग्रास मूल्य की पुस्तकों की बिक्री की गई ।

रेखाचित्रों द्वारा उच्चतर शिक्षा के आंकड़ों का प्रदर्शन

महाविद्यालयों की संख्या

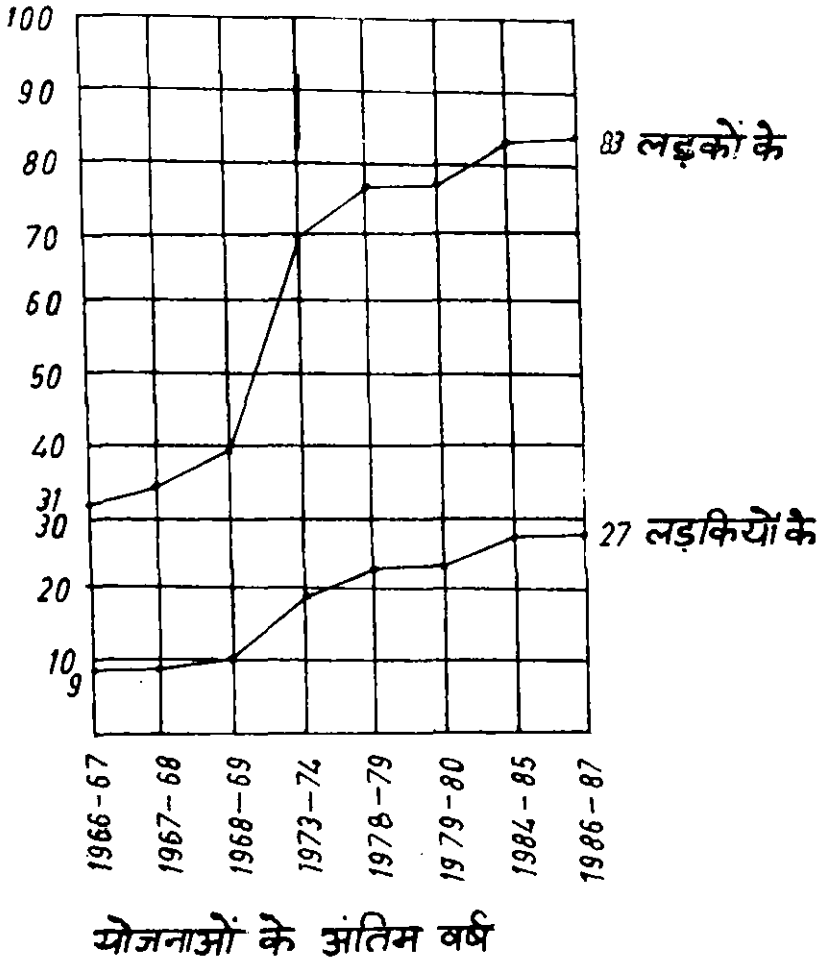

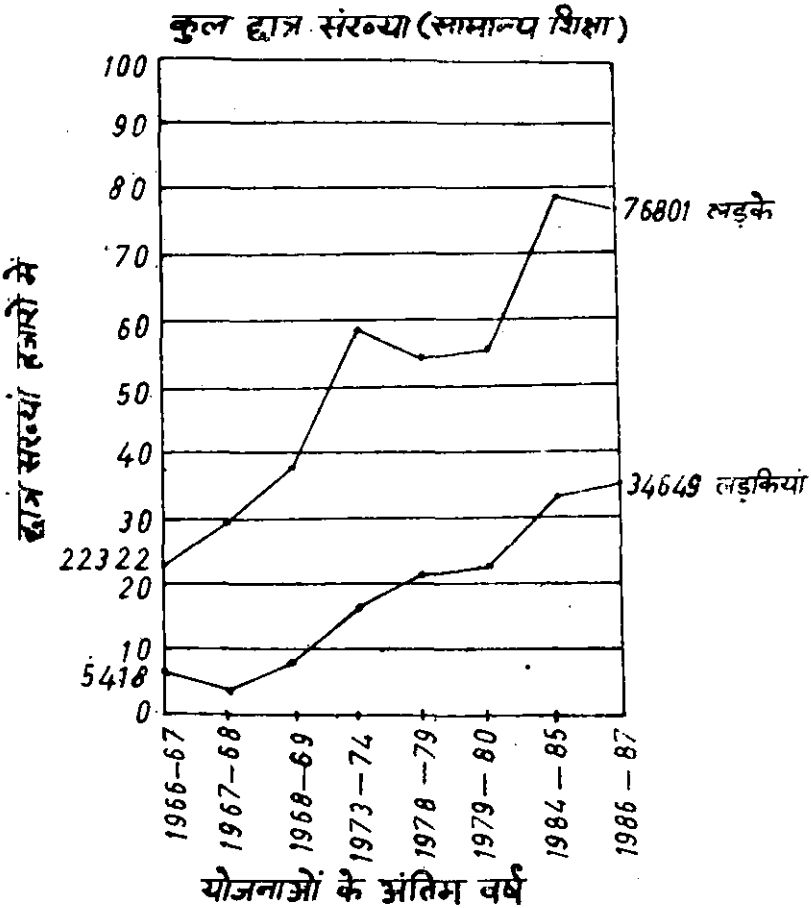
कुल छात्र संख्या (सामान्य शिक्षा)
छात्र संख्या हजारों में
100
90
80
70
60
50
40
30
22322
20
10
5418
0
76801 लड़के
34649 लड़कियां
1966–67
1967–68
1968–69
1973–74
1978–79
1979–80
1984–85
1986–87
योजनाओं के अंतिम वर्ष

अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या (सामान्य शिक्षा)

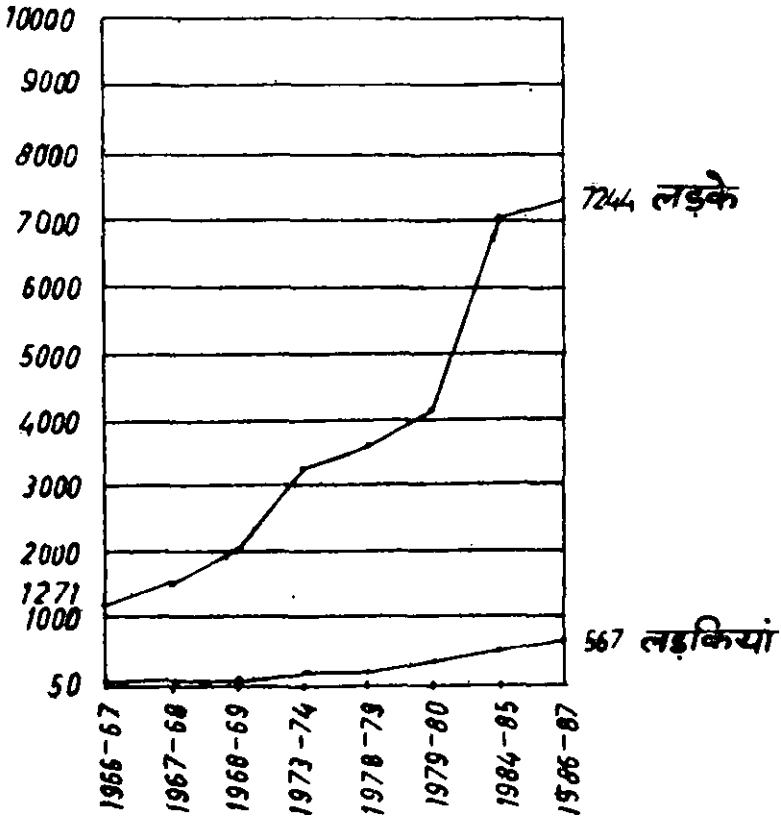

महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों की संख्यां

योजनाओं के अंतिम

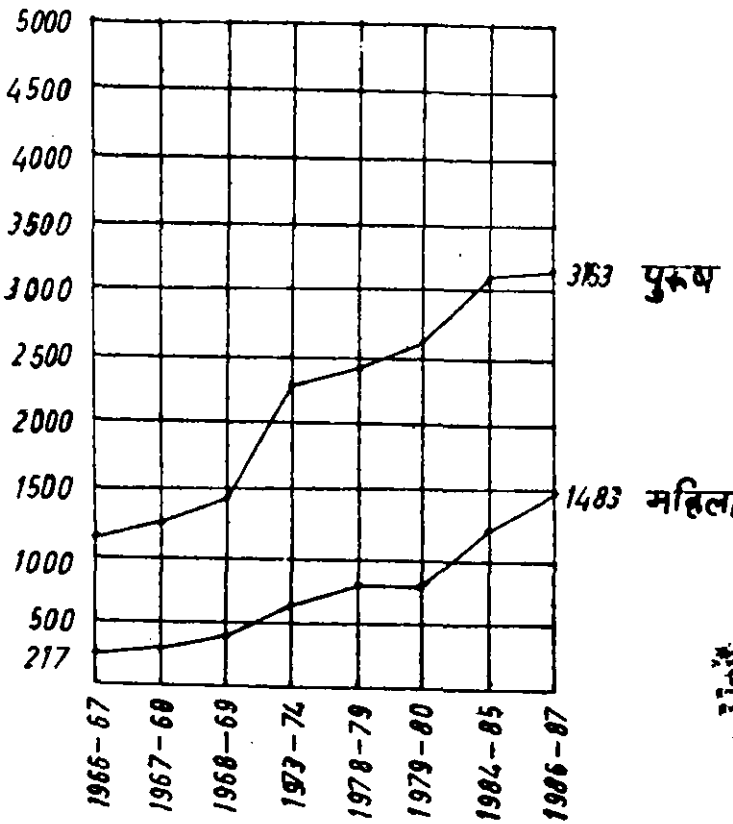

NIEPA DC
D04828

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-4828
Date 14/8/89